उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-17/2019/एस-2-178/दस-2019-88क(5)/2017

लखनऊ :: दिनॉक: 07 फरवरी, 2019

<u>कार्यालय-आदेश</u>

प्रदेश के विभिन्न मण्डल मुख्यालयों में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा हेतु चिन्हित अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार नियमित तैनाती/अग्रिम आदेशों तक संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को पदेन प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ते आदि देय नहीं होगें।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्या-17/2019/एस-2-178(1)/दस-2019-88क(5)/2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(gfj'pUn)
संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।